



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 2307/2026

हर्ष बहादुर सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, शुभम सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 31.07.2023 को सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता को इस आधार पर अंतरिम पेंशन मिल रही है कि उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि आईपीसी की धारा 223 और 224 के तहत मामला संख्या 560/2023 के संबंध में याचिकाकर्ता बरी हो चुका है और भा0 दं0सं0 की धारा 456 और 427 के तहत अन्य आपराधिक मामला संख्या 918/1988 के संबंध में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण आदि के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कौशांबी द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. विपक्षी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **खारिज** इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, जो उस पर विचार करेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार दो महीने के भीतर किया जाए। यदि द्वितीय प्रतिवादी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें भेजे जाएं।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का **खारिज** किया जाता है।

फरवरी 17, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”